

न्यायालय इपयज अधिकारी वनेडा

किसल- फांफा ^{कोसल} वनाद भागी आउ केंद्र नं-28/15

7-3-17

फावली पेश हुई कमील प्राची उपर प्राची
अधिकार को प्रजुत कसे विपरी एउ उ व 8
के कायम मुकाम प्रांफ प्रजुति लावन बात पेशी
आदेशिका से मूल वाद में अन्तिम अवसर
दिया जा चुका है फिर भी आज उनः
उन्हे द्वारा प्रजुति लावन असमर्थता न्यायालय
के समक्ष व्यक्त की है चुकी प्राची को
इस बात समुचित अवसर दिये जा चुके
हैं सिवाजा प्राची का प्रांफ लावन स्पगन
प्राची की नोन कम्पलेन्स में खारिज किये जाने
के आदेश प्रदत्त किये जाते हैं
फावली नम्बर से काम की आकर केंजल
शुमार है।